संख्या ओ० एम०/ई-1-07/78 591

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अत्यावश्यक

(संघठन एवं पद्धति प्रशाखा)

प्रेषक,

श्री के० ए० रामसुब्रह्मण्यम्,
मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव

विभागाध्यक्ष (सचिवालय से संलग्न)

पटना, दिनांक 10 अगस्त, 1978।

विषय :—अभिलेखों का संग्रहण तथा अनुक्रमण का अभियान ।

महोदय,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में मुझे यह देखने का अवसर प्राप्त हुआ है कि सहायक बड़ी दयनीय स्थिति में अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। रैक्स, व्हाटनाट, आलमारी, टेबुल के अतिरिक्त पटल के नीचे भी संचिकाएँ भरी पड़ी हैं। यहाँ तक कि चलने का रास्ता भी नहीं रह गया है। ऐसी दयनीय स्थिति में यदि अग्निकाण्ड या अन्य कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाय तो कर्मचारियों के कमरे से निकल भागना भी कठिन होगा। यही स्थिति अन्य विभागों में भी होगी। संभवतः ऐसी स्थिति राज्य अभिलेखागार द्वारा जगह की कमी के कारण अभिलेखित संचिकाओं को नहीं प्राप्त करने से उत्पन्न हो गयी है। अभिलेखागार में पुरानी संचिकाओं का संग्रहण करने के लिए अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था अलग से की जा रही है। किन्तु तत्काल कम-से-कम इतना तो किया ही जा रहा है कि कार्यालयों में अनावश्क संकीर्णता को दूर करने के लिए नियमानुसार जिस कोटि की संचिकाओं को नष्ट कर देना है उनका वर्गीकरण (क्लारिफिकेशन) कर उन्हें अनुक्रमित (इन्डेक्सिग) और अभिलिखित (रेकाडिंग) कर एक अभियान के रूप से नष्ट कर लिया जाय।

2. अत: अनुरोध है कि कृपया अपने विभागों में इस कार्य हेतु एक उपयुक्त पदाधिकारी के अधीन विशेष दल का गठन किया जाय और उन्हें यह जिम्मेवारी दी जाय तथा अभियान के रूप में इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करा दिया जाय। इस दल के सदस्यों को रविवार या अन्य छुट्टियों के दिन भी कार्य करना आवश्यक हो सकता है जिसके लिए उन्हें उचित मानदेय भी दिया जा सकता है।

3. कृपया इस पत्र की प्राप्त-सूची स्वीकार की जाय और 3 महीने के अन्दर इस दिशा में हुई प्रगति से मुझे अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन
(के० ए० रामसुब्रह्मण्यम्)
मुख्य सचिव बिहार

xviii—1 सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

संकल्प

संकल्प संख्या 10/परी०—305/74 का०—2152, पटना—15, दिनांक 19 जुलाई, 1974।

विषय :—निम्नवर्गीय सहायकों की प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा एवं उच्चवर्गीय सहायक परीक्षा को मिलाकर सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के लिये विभागीय परीक्षा।

सम्प्रति स्थायी निम्नवर्गीय सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है ;—

(क) सचिवालय अनुदेश के नियम 2 9 (2) (ख) के अनुसार निम्नवर्गीय सहायक के पदों पर सम्पुष्ट होने के लिये प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा और;